**बिहार सरकार**
**कृषि विभाग**

पत्र संख्या–3/कृ0 बजट–आवंटन–08/2014–169 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-11- 2014

प्रेषक,

**रामजी सिंह**
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

**मुख्य लेखा पदाधिकारी,**
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुए कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 3200.00 लाख रूपये (बत्तीस करोड़ रूपये ) की निकासी एंव व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹32,00,00,000 (बत्तीस करोड़ रूपये मात्र) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–5124 दिनांक–14.11.2014 द्वारा किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुए कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 3200.00 लाख रूपये (बत्तीस करोड़ रूपये ) की निकासी एंव व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹32,00,00,000 (बत्तीस करोड़ रूपये मात्र) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹32,00,00,000 (बत्तीस करोड़ रूपये मात्र) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–मांग सं०–1–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उपशीर्ष–0106–कृषि महाविद्यालय किशनगंज, विपत्र कोड–P2415017890106, विषयशीर्ष–31 05–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि ₹47,37,90,000 से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांकः–6720 वि0 (2) दिनांक–25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुमन

विश्वासभाजन,
28/11/14
**(रामजी सिंह)**
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc

ज्ञापांक 169 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-11-2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 28/11/14

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 169 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-11-, 2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 28/11/14

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc